करेंट अफेयर्स

छत्तीसगढ़

(संग्रह)

जुलाई 2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

छत्तीसगढ़

- छत्तीसगढ़ ने वन-क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लॉन्च किया 3
- छत्तीसगढ़ ने दर्ज की सर्वाधिक GST वृद्धि दर 5
- छत्तीसगढ़ वन विभाग ने सामुदायिक वन अधिकार संबंधी निर्देश वापस लिये 7
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती 8
- छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण सप्ताह 10
- नियाद नेल्ला नार पहल 11
- चरण पादुका योजना 13
- छत्तीसगढ़ में सोलर-पावर्ड मॉडल टूरिज़्म विलेज 14
- वैट बकाया माफ और जीएसटी (संशोधन) विधेयक मसौदा 15
- ईएमआरएस को सीआईएल से 10 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन 17
- रायपुर-दुर्ग मेट्रो रेल परियोजना 19

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ ने वन-क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने **रायपुर में "वन-क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0" लॉन्च किया, इसे राज्य को सेमीकंडक्टर, AI, फार्मा, रक्षा और** ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते उद्योगों का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया।

मुख्य बिंदु

- **वन-क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0:**
  - यह **ऑनलाइन आवेदन, विभागीय मंज़ूरी और सब्सिडी प्रसंस्करण को एकीकृत** करता है।
  - यह प्रणाली उद्योग स्थापित करने के लिये पारदर्शी और वास्तविक समय पर अनुमोदन सुनिश्चित करती है।
- **नई औद्योगिक नीति:**
  - छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में रोज़गार सृजन और आर्थिक समृद्धि को प्राथमिकता दी गई है।
  - 11 कंपनियों द्वारा प्रस्तुत 1.23 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों से 20,000 से अधिक युवा लाभान्वित होंगे।
  - एक सरकारी बयान के अनुसार, छत्तीसगढ़ को **5.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त** हुए।
    - **वित्त वर्ष 2025 में** भारत के कुल निवेश प्रवाह में राज्य **का योगदान 3.71% होगा ,** जो इसके बढ़ते औद्योगिक आकर्षण को दर्शाता है।
- **छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025:**
  - मुख्यमंत्री ने **छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंज़ूरी देने की भी घोषणा की,** जिसका उद्देश्य राज्य को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब बनाना है।
  - यह नीति वैश्विक और घरेलू लॉजिस्टिक्स कंपनियों को आकर्षित करेगी, **निर्यात बुनियादी ढाँचे में सुधार करेगी** तथा **उद्योगों एवं किसानों के लिये किफायती भंडारण सुनिश्चित करेगी।**
- **महत्त्व:**
  - **उन्नत औद्योगिक विकास:** वन-क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 निवेशकों को आकर्षित करना जारी रखेगा और औद्योगिक स्थापना प्रक्रिया में तेजी लाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ की प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थिति मज़बूत होगी।
  - **उभरते क्षेत्रों में निवेश:** प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित प्रयास राज्य को भविष्योन्मुख अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद करेंगे।
  - **लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे का विकास:** लॉजिस्टिक्स नीति राज्य की निर्यात क्षमताओं को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ भारत के लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्त्वपूर्ण राज्य बन जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **रोज़गार सृजन और आर्थिक समृद्धि:** बड़े निवेश और बढ़ते औद्योगिक आधार के साथ, राज्य हज़ारों रोज़गार अवसरों का सृजन करेगा, जिससे इसके निवासियों के लिये आर्थिक समृद्धि आएगी।

हरित हाइड्रोजन

- हाइड्रोजन एक प्रमुख औद्योगिक ईंधन है, जिसका उपयोग अमोनिया (एक प्रमुख उर्वरक), इस्पात, रिफाइनरियों और विद्युत उत्पादन सहित **विभिन्न प्रकार के कार्यों** में किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- हालाँकि, अब निर्मित सभी हाइड्रोजन **को तथाकथित ब्लैक या ब्राउन** हाइड्रोजन कहा जाता है, क्योंकि वे कोयले से उत्पादित होते हैं।
- हाइड्रोजन **ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है** । लेकिन शुद्ध, या मौलिक हाइड्रोजन, बहुत दुर्लभ है।
  - यह लगभग हमेशा ही ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाने वाले यौगिकों में मौजूद रहता है।
- लेकिन जब विद्युत धारा को पानी से गुजारा जाता है, तो **यह इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से इसे मौलिक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित कर देता है।**
  - और यदि इस प्रक्रिया के लिये उपयोग की जाने वाली बिजली **पवन या सौर जैसे नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त होती है** तो इस प्रकार उत्पादित हाइड्रोजन को **ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है**।
- हाइड्रोजन से जुड़े रंग हाइड्रोजन अणु को उत्पन्न करने के लिये प्रयुक्त विद्युत के स्रोत को इंगित करते हैं।
  - **उदाहरण के लिये, यदि कोयले का उपयोग किया जाता है, तो इसे ब्राउन हाइड्रोजन** कहा जाता है।

छत्तीसगढ़ ने दर्ज की सर्वाधिक GST वृद्धि दर

चर्चा में क्यों?

वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह वृद्धि में **छत्तीसगढ़** देश में **शीर्ष पर रहा,** जिसमें पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में **18% की वृद्धि दर्ज** की गई।

मुख्य बिंदु

- **छत्तीसगढ़ की GST वृद्धि के पीछे के कारक:**
  - **GST संग्रह में वृद्धि:**
    - वित्त वर्ष 2024-25 के लिये छत्तीसगढ़ का कुल GST और VAT (मूल्य वर्द्धित कर) राजस्व 23,448 करोड़ रुपए तक पहुँच गया, जो राज्य के स्वयं के कर संग्रह का लगभग 38% है।
      - **VAT:** बेची गई वस्तुओं पर कर, आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। यह **उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिन्हें GST व्यवस्था से बाहर रखा गया है** जैसे मादक पेय, पेट्रोलियम उत्पाद आदि।
    - कर राजस्व में यह तीव्र वृद्धि इसके नीतिगत उपायों और प्रवर्तन रणनीतियों **की प्रभावशीलता को उजागर करती है।**
  - **सुव्यवस्थित GST पंजीकरण प्रक्रिया:**
    - इस सफलता में योगदान देने वाले प्रमुख सुधारों में से एक है GST पंजीकरण समय को **13 दिनों से घटाकर सिर्फ 2 दिन करना**, जिससे छत्तीसगढ़ में व्यापार करने में आसानी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है
  - **प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी और प्रवर्तन:**
    - राज्य ने चोरी किये गये करों की निगरानी और वसूली के लिये उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है।
    - **लक्षित अभियान और उन्नत प्रवर्तन कार्रवाइयाँ, जैसे कि सभी 33 ज़िलों में GST कार्यालयों** की स्थापना, ने पारदर्शिता तथा बेहतर करदाता सेवाएँ सुनिश्चित की हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

- **परिचय:**
  - GST एक मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
  - यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत में **1 जुलाई, 2017** को 101 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से '**एक राष्ट्र एक कर**' के नारे के साथ पेश किया गया था।
- **GST परिषद:**
  - **परिचय:** GST परिषद, **अनुच्छेद 279-A (101वाँ संशोधन, 2016)** के तहत एक **संवैधानिक निकाय**, GST कार्यान्वयन पर अनुशंसाएँ करता है।
    - GST एक **मूल्यवर्द्धित (एड वैलोरम)** तथा **अप्रत्यक्ष कर प्रणाली** है, जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
  - **सदस्य:** परिषद में **केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष)**, केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) और प्रत्येक राज्य से एक वित्त या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं।
  - **निर्णयों की प्रकृति: मोहित मिनरल्स मामले,** 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि GST परिषद की अनुशंसाएँ बाध्यकारी नहीं हैं, क्योंकि संसद और राज्यों के पास GST पर **एक साथ विधायी शक्तियाँ हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने सामुदायिक वन अधिकार संबंधी निर्देश वापस लिये

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने **हाल ही में अपना निर्देश वापस ले लिया है**, जिसके तहत **सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों** और निजी संस्थाओं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) से **संबंधित कोई भी कार्य करने से रोक** दिया गया था।

मुख्य बिंदु

- **परामर्श वापस लेना:**
  - वन विभाग ने शुरू में वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 **के तहत दी गई CFRR भूमि पर नियंत्रण का दावा किया था**, जो कि केंद्र सरकार द्वारा मॉडल प्रबंधन योजनाओं के जारी होने तक लंबित था।
  - परामर्श में **वन विभाग को CFRR कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी नामित किया गया**, जिसके कारण आदिवासी समुदायों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने इसे वन संसाधनों के प्रबंधन के अपने अधिकारों का उल्लंघन माना।
    - चिंताओं का समाधान करने के लिये, **वन विभाग ने जनजातीय मामलों और पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध** किया है कि वे सभी हितधारकों के लिये विस्तृत CFRR योजनाएँ, कार्यान्वयन दिशानिर्देश तथा प्रशिक्षण मॉड्यूल तत्काल जारी किया जाए।
- **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006**
  - **परिचय:** इसे वन में रहने **वाले अनुसूचित जनजातियों (ST)** और **अन्य पारंपरिक वन निवासियों (OTFD)** को **आधिकारिक रूप से वन अधिकारों** तथा **पट्टेदारी को मान्यता प्रदान करने के लिये अधिनियमित किया गया था**, जो अपने अधिकारों के औपचारिक दस्तावेज़ीकरण के बिना पीढ़ियों से इन वनों में आवास कर रहे हैं।
  - **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य उन **ऐतिहासिक अन्यायों** को सुधारना है, जिनका सामना इन **समुदायों को औपनिवेशिक और पश्च-औपनिवेशिक** वन प्रबंधन नीतियों के कारण करना पड़ा, जिन्होंने भूमि के साथ उनके गहन तथा सहजीवी संबंधों को नज़रअंदाज़ कर दिया।
    - भूमि तक स्थायी पहुँच और वन संसाधनों के उपयोग को सक्षम करके, **जैवविविधता** तथा **पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देकर** एवं उन्हें अवैध बेदखली व विस्थापन से बचाकर इन समुदायों को सशक्त बनाना।
  - **प्रावधान:**
    - **स्वामित्व अधिकार:** लघु वन उपज (MFP) पर स्वामित्व प्रदान करता है। वन उपज के संग्रह, उपयोग और निपटान की अनुमति प्रदान करता है।
      - MFP से तात्पर्य वनस्पति मूल के **सभी गैर-लकड़ी वन उत्पादों से है**, जिसमें बाँस, झाड़-झंखाड़, स्टंप और बेंत शामिल हैं।
    - **सामुदायिक अधिकार: इसमें निस्तार** (सामुदायिक वन संसाधन का एक प्रकार) जैसे पारंपरिक उपयोग अधिकार शामिल हैं।
    - **पर्यावास अधिकार: आदिम जनजातीय समूहों** और पूर्व-कृषि समुदायों के उनके पारंपरिक पर्यावासों के अधिकारों की रक्षा करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सामुदायिक वन संसाधन (CFR):** समुदायों को उन वन संसाधनों की रक्षा, पुनर्जनन और स्थायी प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है जिन्हें वे पारंपरिक रूप से संरक्षित करते आए हैं।
  - यह अधिनियम सरकार द्वारा प्रबंधित लोक कल्याण परियोजनाओं के लिये **वन भूमि के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है, जो ग्राम सभा की स्वीकृति के अधीन है।**
- **सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR)**
  - अनुसूचित जनजाति **और** अन्य परंपरागत वन निवासी **(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006** (जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाता है) की धारा 3(1)(i) के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सामुदायिक वन संसाधन की **"सुरक्षा, पुनरोद्धार या संरक्षण या प्रबंधन" के अधिकार की मान्यता प्रदान करता है।**
    - ये अधिकार समुदाय को स्वयं तथा अन्य लोगों द्वारा **वन उपयोग के लिये नियम बनाने की अनुमति देते हैं तथा इस प्रकार वन अधिकार अधिनियम (FRA) की धारा 5 के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।**

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

मुख्य बिंदु

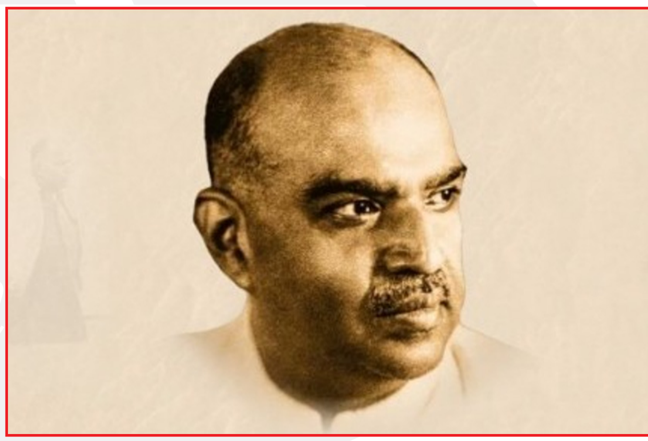

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी:

- **प्रारंभिक जीवन और उपलब्धियाँ:**
  - श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म **6 जुलाई, 1901** को **कलकत्ता** में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
  - 33 वर्ष की आयु में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी **कलकत्ता विश्वविद्यालय** के सबसे कम उम्र के **कुलपति** बने।
  - उन्होंने प्रगतिशील सुधार लागू किये और **एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता**, भारतीय विज्ञान संस्थान (बंगलूरू) तथा अंतर-विश्वविद्यालय बोर्ड जैसी शैक्षिक संस्थाओं में सक्रिय योगदान दिया।
  - उन्होंने वर्ष 1922 में बंगाली पत्रिका **"बंग वाणी"** और 1940 के दशकों में **द नेशनलिस्ट** की शुरुआत की।
- **राजनीतिक करियर:**
  - वह कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए कॉन्ग्रेस उम्मीदवार के रूप में बंगाल विधान परिषद के लिये चुने गए।
  - जब कॉन्ग्रेस पार्टी ने विधानमंडल का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया और बाद में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पुन: सीट जीत ली।
  - कृषक प्रजा पार्टी-मुस्लिम लीग गठबंधन सरकार (1937-1941) के दौरान, उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया और मज़बूत राष्ट्रवादी चिंताओं को आवाज़ दी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **स्वतंत्रता के बाद:**
  - **मंत्री की भूमिका:**
    - वह फज़लुल हक के नेतृत्व वाली प्रगतिशील गठबंधन सरकार में वित्त मंत्री के रूप में शामिल हुए, लेकिन वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों के कारण उन्होंने एक वर्ष के भीतर ही इस्तीफा दे दिया।
    - बाद में वे बंगाल की राजनीति में एक प्रमुख हिंदू आवाज़ के रूप में उभरे, हिंदू महासभा में शामिल हुए और वर्ष 1944 में इसके अध्यक्ष चुने गए, जो उनकी राजनीतिक यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव था।
    - **महात्मा गांधी की हत्या** के बाद, डॉ. मुखर्जी ने हिंदू महासभा को धार्मिक सीमाओं से परे अपनी भूमिका का विस्तार करने और व्यापक राष्ट्रीय सेवा में संलग्न होने की वकालत की।
    - उन्होंने संगठन के अराजनीतिक बने रहने के निर्णय का विरोध किया और परिणामस्वरूप 23 नवंबर, 1948 को **हिंदू महासभा से इस्तीफा दे दिया।**
- **बंगाल विभाजन पर रुख:**
  - उन्होंने वर्ष **1946 में बंगाल विभाजन का समर्थन किया** और **बंगाली हिंदुओं की सुरक्षा और अधिकारों को** सुनिश्चित करते हुए **भारत के भीतर एक अलग हिंदू बहुल राज्य, पश्चिम बंगाल बनाने की वकालत की।**
- **केंद्रीय शासन में भूमिका:**
  - वे पंडित **नेहरू की अंतरिम कैबिनेट में** उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल हुए तथा **स्वतंत्रता के बाद की प्रारंभिक औद्योगिक नीति में योगदान दिया।**
  - उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, **लियाकत अली खान के साथ दिल्ली समझौते के** विरोध में 6 अप्रैल 1950 को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।
- **भारतीय जनसंघ की स्थापना:**
  - **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)** के प्रमुख गुरु गोलवलकर से परामर्श करने के बाद, उन्होंने 21 अक्तूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आज के समय में **भारतीय जनता पार्टी (BJP)** के नाम से जानी जाती है।
  - वे इसके पहले अध्यक्ष बने। वर्ष 1952 में पार्टी ने तीन लोकसभा सीटें जीतीं, जिनमें उनकी अपनी सीट भी शामिल थी।
  - संसद में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया, हालाँकि इसे आधिकारिक मान्यता नहीं मिली।
- **कश्मीर और अनुच्छेद 370 पर रुख:**
  - उन्होंने अनुच्छेद 370 **का कड़ा विरोध करते हुए** कहा कि यह एक ऐसा कदम है जो भारत के विखंडन का कारण बन सकता है और राष्ट्रीय एकता के लिये खतरा बन सकता है।
  - उन्होंने **शेख अब्दुल्ला के तीन-राष्ट्र सिद्धांत की आलोचना की** और अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग के लिये हिंदू महासभा तथा राम राज्य परिषद के साथ मिलकर **सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया।**
  - 11 मई, 1953 को, बिना परमिट के जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने का प्रयास करते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और **23 जून, 1953 को** विवादास्पद परिस्थितियों में **हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण सप्ताह

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा **'मोर गाँव, मोर पानी' अभियान** के तहत **जल संरक्षण सप्ताह** का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु

- **मोर गाँव, मोर पानी' अभियान के बारे में:**
  - यह अभियान **ग्राम-स्तर पर जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा** देने हेतु प्रारंभ किया गया है, जो **सामुदायिक भागीदारी** तथा **सतत् जल प्रबंधन** पर ज़ोर देता है।
  - यह पहल विस्तृत जल शक्ति अभियान से संबद्ध है तथा इसमें वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण एवं कुशल सिंचाई विधियों जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- **अन्य जल संरक्षण पहल:**
  - **जल शक्ति अभियान (JSA)**
    - जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में प्रारंभ इस अभियान के अंतर्गत पूरे भारत के 256 जल-संकटग्रस्त ज़िलों के 2,836 ब्लॉकों में से 1,592 ब्लॉकों को कवर किया गया।
  - **कैच द रेन अभियान:**
    - वर्ष 2021 में, सरकार ने **जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (JSA: CTR)** लॉन्च किया, जिसका विषय था "कैच द रेन-व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स।"
    - इस चरण में अभियान का विस्तार देश भर के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी ब्लॉकों तक किया गया।
  - **जल शक्ति अभियान: वर्षा जल संचयन 2025**
    - **विश्व जल दिवस** (22 मार्च 2025) पर, जल शक्ति मंत्रालय ने JSA: कैच द रेन 2025 लॉन्च किया।
    - **विषय:** "जल संचय जन भागीदारी– जन जागरूकता की ओर"
    - यह अभियान **22 मार्च से 30 नवंबर 2025** तक संचालित किया जा रहा है, जिसमें **प्री-मानसून** तथा **मानसून सीज़न** पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
    - इसका लक्ष्य **केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB)** द्वारा चिह्नित **148 जल संरक्षण हेतु महत्त्वपूर्ण ज़िलों** को कवर करना है।
    - वर्ष 2025 संस्करण में ज़मीनी स्तर पर गहन भागीदारी, अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण और नवीन वित्त पोषण तंत्र पर ज़ोर दिया गया है।
      - **मध्य प्रदेश का खंडवा** इस पहल के लिये आदर्श ज़िला बनकर उभरा है।
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र**
  - जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन
  - जल निकायों की जियो-टैगिंग एवं वैज्ञानिक सूचीकरण
  - प्रत्येक ज़िले में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना
  - गहन वनरोपण
  - जन-जागरूकता एवं आउटरीच अभियान

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

विश्व जल दिवस

- इसका उद्देश्य **जल संरक्षण** तथा इसके **सतत् प्रबंधन** के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना है।
- इसकी संकल्पना **वर्ष** 1992 में रियो शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी तथा वर्ष 1993 में **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)** द्वारा इसे प्रतिवर्ष मनाए जाने हेतु आधिकारिक मान्यता दी गई।
- यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य-6 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य है: *"वर्ष 2030 तक सभी के लिये जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना।"*
- **थीम (वर्ष 2025):** *ग्लेशियर संरक्षण*

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWA)

- जल संसाधन मंत्रालय (वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय) के अधीन स्थापित केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWA), भारत में **भूजल संसाधनों के प्रबंधन, अन्वेषण, निगरानी, आकलन तथा विनियमन** हेतु शीर्ष वैज्ञानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना **वर्ष** 1970 में ***अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन*** के पुनर्गठन के रूप में की गई थी, जिसे बाद में वर्ष 1972 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूजल विंग के साथ विलयित कर दिया गया।
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** के तहत गठित केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA), देश में भूजल के विकास एवं दोहन को विनियमित करने हेतु कार्यरत है, जिससे इसकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
- **प्रमुख कार्य एवं उत्तरदायित्व:**
  - भूजल प्रबंधन हेतु वैज्ञानिक विशेषज्ञता प्रदान करना, जिसमें **भूजल अन्वेषण, निगरानी** तथा जल गुणवत्ता का आकलन सम्मिलित है।
  - भूजल पुनर्भरण एवं **वर्षा जल संचयन** की वैज्ञानिक योजनाओं को क्रियान्वित कर भूजल स्तर में वृद्धि हेतु प्रयास करना।
  - राज्य तथा ज़िला स्तरीय **जल-भूवैज्ञानिक रिपोर्ट, भूजल वर्ष पुस्तिका एवं भूजल** एटलस का प्रकाशन।

नियाद नेल्ला नार पहल

चर्चा में क्यों?

नारायणपुर ज़िले के **बस्तर** संभाग में स्थित **इरकाभट्टी** पहले ऐसा गाँव था जहाँ माओवादी विद्रोह के कारण बुनियादी ज़रूरतें, विशेषकर **शिक्षा**, अप्राप्य थीं।

- हालाँकि, राज्य सरकार की '**नियाद नेल्ला नार**' योजना के माध्यम से **शिक्षा**, **कनेक्टिविटी** तथा बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिये विशेष प्रयास किये गए हैं।

मुख्य बिंदु

- **नियाद नेल्ला नार पहल:**
  - नियाद नेल्ला नार योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के **नक्सल प्रभावित गाँवों** को बुनियादी सुविधाएँ एवं कल्याणकारी लाभ प्रदान करना है।
  - '**नियाद नेल्ला नार**' का अर्थ "**आपका अच्छा गाँव**" होता है, जो **दंडामी बोली** (दक्षिण बस्तर में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा) से लिया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के जीवन स्तर को सुधारना है।
- यह योजना सुरक्षा शिविरों के एक किमी के दायरे में **आवास**, **स्वास्थ्य सेवा**, **जल**, **बिजली**, **सड़क** और **शिक्षा** जैसी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।
- इन गाँवों में रहने वाले परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत नि:शुल्क गैस सिलेंडर, राशन कार्ड, सिंचाई पंप, नि:शुल्क बिजली, आँगनवाड़ी की सुविधा तथा वनाधिकार के प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाएंगे।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY):

- **परिचय**
  - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को **स्वच्छ ईंधन** (LPG) उपलब्ध कराना है।
  - यह योजना **1 मई 2016** को **उत्तर प्रदेश** के **बलिया** ज़िले से प्रारंभ की गई थी।
  - इस योजना का लक्ष्य उन परिवारों को लाभ देना है, जो परंपरागत ईंधनों जैसे लकड़ी, कोयला एवं गोबर के उपलों पर निर्भर थे।
- **स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव:**
  - परंपरागत ईंधनों के प्रयोग से विशेष रूप से **ग्रामीण महिलाओं** को **घरेलू वायु प्रदूषण** के कारण गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता था। साथ ही, यह **वनों की कटाई** और कार्बन उत्सर्जन के कारण पर्यावरणीय क्षरण में भी योगदान देता था।
- **उज्ज्वला** 2.0, इस योजना का दूसरा चरण है, जिसे **अगस्त 2021** मे ं प्रारंभ किया गया था।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs)

- **परिचय**
  - PVTG (**विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह**), अनुसूचित जनजाति (ST) या ST के किसी हिस्से का **उप-वर्गीकरण** है, जिसे सामान्य ST की तुलना में अधिक **असुरक्षित** माना जाता है।
  - भारत सरकार ने उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिये PVTG सूची बनाई है।
- **राज्यवार वितरण:**
  - भारत में कुल 75 PVTG हैं, जिनमें सबसे अधिक (13) **ओडिशा** में हैं, उसके बाद **आंध्र प्रदेश** (12) में हैं।
  - छत्तीसगढ़ में 7 PVTG हैं, जो राज्य के 33 ज़िलों में से 17 ज़िलों में निवास करते हैं। ये हैं- **कमर, बैगा, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया, बिरहोर, पंडो और भुजिया।**
    - जहाँ पहली पाँच जनजातियों को केंद्र सरकार द्वारा PVTG घोषित किया गया है, वहीं पंडो तथा भुजिया को राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है।
- **अनुच्छेद 342(1):**
  - राष्ट्रपति किसी **राज्य/केंद्रशासित प्रदेश** के संबंध में (राज्य के लिये **राज्यपाल** से परामर्श के बाद) उस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में जनजातियों, जनजातीय समुदायों, जनजातियों के भागों या समूहों को अनुसूचित जनजाति (ST) के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं।
  - संसद, विधि द्वारा अनुच्छेद 342(1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ST की सूची में किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय को अथवा उनके किसी भाग या समूह को सम्मिलित या अपवर्जित कर सकती है; परंतु उपर्युक्त के अतिरिक्त, उक्त अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

चरण पादुका योजना

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ सरकार ने 'चरण पादुका योजना' को पुनर्जीवित किया, जो राज्य में तेंदू पत्ता संग्राहकों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से **एक फुटवियर योजना** है।

- इस योजना से **1.24 मिलियन से अधिक तेंदू पत्ता संग्राहकों** को लाभ मिलेगा और राज्य सरकार ने इसके **कार्यान्वयन के लिये 40 करोड़ रुपए** का बजट स्वीकृत किया है।

मुख्य बिंदु

- **योजना के बारे में:**
  - चरण पादुका योजना मूलतः राज्य सरकार द्वारा **नवंबर 2005** में शुरू की गई थी।
  - इस योजना के तहत **तेंदू पत्ता संग्रहण** में शामिल **18 वर्ष या उससे अधिक आयु** के परिवार के **दो सदस्यों** को प्रति वर्ष **एक जोड़ी जूते** उपलब्ध कराए जाते हैं।
  - शुरुआत में, प्रति परिवार केवल **एक पुरुष सदस्य** ही पात्र था। हालाँकि, 2008 में, सरकार ने **महिला सदस्यों को भी पात्रता** प्रदान कर दी।
  - यह योजना विशेष रूप से **छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों** पर लागू होती है।
- **योजना के पुनः आरंभ का महत्त्व:**
  - यह पुनः लॉन्च जनजातीय और वन-आश्रित समुदायों **के उत्थान** के लिये सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  - **तेंदू पत्ता संग्राहक परिवार** वन आधारित आजीविका के संरक्षण तथा **छत्तीसगढ़ की पारंपरिक** अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - वन आजीविका के लिये समर्थन की पुष्टि करते हुए, मुख्यमंत्री ने तेंदू पत्ता संग्रहण दर को 4,500 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा करने की घोषणा की।

तेंदू पत्ता

- **परिचय**
  - तेंदू पत्ता, जिसे हरा सोना भी कहा जाता है, एक **गैर-लकड़ी वन उपज (NTFP)** है। **तेंदू पत्ते का वानस्पतिक नाम 'डायोस्पायरोस मेलानोक्सिलोन'** है।
  - इन पत्तियों का उपयोग **बीड़ी बनाने** में किया जाता है, जो स्थानीय लोगों के बीच **एक लोकप्रिय धूम्रपान** है।
- **तेंदू पत्ता उत्पादक राज्य:**
  - भारत में **बीड़ी पत्ता उत्पादक राज्यों** में मुख्यतः **मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र** शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **महत्त्व:**
  - **औषधि:** पारंपरिक चिकित्सक तेंदू के छोटे फलों का उपयोग मलेरिया, दस्त और पेचिश के निदान के लिये करते हैं।
  - अपने **रोगाणुरोधी गुणों** के कारण, इन पत्तियों को **कटने और चोट लगने** पर भी लगाया जाता है।
- **आजीविका का स्रोत:**
  - **तेंदू पत्ता** आदिवासी गाँवों के लिये एक **प्रमुख आजीविका स्रोत** है, क्योंकि यह राज्य की सबसे प्रमुख लघु वनोत्पाद (MFP) है।
  - MFP में वनस्पति मूल के सभी **गैर-लकड़ी वन उत्पाद** शामिल होते हैं, जिनमें **बाँस, बेंत, चारा, पत्तियाँ, गोंद, मोम, रंग, रेजिन** और कई प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे **मेवे, जंगली फल, शहद, लाख, टसर** आदि शामिल हैं।
  - ये उत्पाद उनके **भोजन, फल, औषधियों** और अन्य **उपभोग की वस्तुओं** का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं तथा **बिक्री के माध्यम से नकद आय** भी प्रदान करते हैं।

छत्तीसगढ़ में सोलर-पावर्ड मॉडल टूरिज़्म विलेज

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ का धुड़मारस गाँव **सौर ऊर्जा संचालित मॉडल** के रूप में उभर रहा है, जो बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा दे रहा है और ग्रामीण पर्यटन को समृद्ध बना रहा है।

- इसे वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा **20 वैश्विक गाँवों में से विश्व के शीर्ष पर्यटन गाँवों में** से एक के रूप में मान्यता दी गई थी।

प्रमुख बिंदु

- **धुड़मारस के संबंध में:**
  - यह रायपुर से लगभग 350 किमी. दूर, बस्तर ज़िले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है।
  - यह गाँव अपनी हरी-भरी हरियाली, समृद्ध जैव विविधता, सुरम्य **कांगेर नदी और बस्तरिया समुदाय** की जीवंत आदिवासी संस्कृति के लिये जाना जाता है।
  - यह ट्रेकिंग, कयाकिंग और बाँस राफ्टिंग जैसी साहसिक गतिविधियों के लिये लोकप्रिय है।
  - विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा बस्तर में "**सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँवों**" में से एक के रूप में **सम्मानित** किया गया।
- **सौर ऊर्जा पहल:**
  - छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (CREDA) **ने** धुड़मारस में सौर पंप, हाई-मास्ट और स्ट्रीट लाइटें स्थापित की हैं तथा स्थानीय स्कूलों को बिजली उपलब्ध कराई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान

- **स्थान:** छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में जगदलपुर से 27 किमी. दूर स्थित है।
- **पारिस्थितिक महत्त्व:** यह एक संक्रमणकालीन वन क्षेत्र में स्थित है, जहाँ साल वनों की दक्षिणी सीमा और सागौन वनों की उत्तरी सीमा एक दूसरे से मिलती है।
  - **इसमें नम प्रायद्वीपीय साल वन** और **दक्षिण भारतीय उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन** दोनों शामिल हैं।
- **जैव विविधता:** यहाँ पैंथर, जंगली बिल्लियाँ, चीतल (चित्तीदार हिरण), सांभर, भौंकने वाले हिरण, जंगली सूअर, सियार, लंगूर, रीसस मकाक, सुस्त भालू, उड़ने वाली गिलहरियाँ, लकड़बग्घा और सिवेट सहित विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं।
- अजगर, साँप और छिपकली जैसे सरीसृप यहाँ सामान्यत: पाए जाते हैं।
- यहाँ पक्षियों की भरमार है, जिनमें शिकारी पक्षी, मृतजीवी पक्षी, जल पक्षी और **बस्तर पहाड़ी मैना - छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी शामिल** हैं।
- तितली, पतंगे और ड्रैगनफ्लाई जैसे कीटों के साथ-साथ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
- **प्राकृतिक आकर्षण:**
  - **इसमें तीरथगढ़ झरना, कुटुमसर गुफाएँ, कैलाश गुफा** और **भिसादरहा** जैसे प्रमुख आकर्षण शामिल हैं।
  - पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली कांगेर **नदी** पार्क को दो भागों में विभाजित करती है और घाटी को इसका नाम देती है।

संरक्षण स्थिति: जुलाई 1982 में इसकी समृद्ध वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा के लिये इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।

वैट बकाया माफ और जीएसटी (संशोधन) विधेयक मसौदा

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों में **25,000 रुपए** तक के मूल्य वर्धित कर (वैट) की राशि **माफ** करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने **छत्तीसगढ़** GST (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा **छत्तीसगढ़ बकाया राशि निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025** के **प्रारूपों** को भी **मंज़ूरी** दे दी है।

नोट:

- **मूल्य वर्धित कर (वैट):** यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जो बेची गई वस्तुओं पर लगाया जाता है और **आपूर्ति शृंखला** के प्रत्येक चरण पर लागू होता है। यह उन वस्तुओं पर लागू होता है, जो **GST व्यवस्था** से बाहर हैं, जैसे मादक पेय पदार्थ, पेट्रोलियम उत्पाद आदि।

मुख्य बिंदु

- **पुराने वैट बकाया माफ:**
  - पुराने वैट बकाये को माफ करने से 40,000 से अधिक छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा और 62,000 से अधिक लंबित मामलों के समाधान में मदद मिलेगी, जिससे अनुपालन बोझ तथा मुकदमेबाज़ी के लंबित मामलों में उल्लेखनीय कमी आएगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **जीएसटी से संबंधित संशोधन विधेयकों के मसौदे स्वीकृत:**
  - सरकार ने दो प्रमुख विधेयकों के मसौदों को मंज़ूरी दी है:
    - छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
    - छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज और शास्ति निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025
  - दोनों विधेयक 14 जुलाई 2025 से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पेश किये गए।
- **मसौदे की मुख्य विशेषताएँ:**
  - ये विधायी संशोधन राज्य में व्यापार को सुगम बनाने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।
    - प्रस्तावित परिवर्तन 55वीं GST परिषद की बैठक में लिये गए निर्णयों के अनुरूप हैं।
  - मसौदा विधेयक में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिये केवल दंड वाले मामलों (जिनमें कोई कर मांग नहीं है) के लिये **अनिवार्य पूर्व-जमा को 20% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव है।**
  - **वाउचर की करदेयता** से संबंधित "आपूर्ति के समय" प्रावधान को **हटाने** का प्रस्ताव किया गया है ताकि **अग्रिम निर्णय प्राधिकरण** के परस्पर विरोधी निर्णयों से उत्पन्न **भ्रम** को दूर किया जा सके तथा **स्पष्टता और एकरूपता** सुनिश्चित हो सके।
  - एक प्रमुख संशोधन के तहत, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) के भीतर **वेयरहाउसिंग लेनदेन** को **GST ढाँचे से बाहर** रखने का प्रस्ताव है।
    - यह उन **सामानों** पर लागू होगा, जो **SEZ के गोदामों** में रखे रहते हैं और **बिना भौतिक परिवहन के बार-बार व्यापार** में प्रयुक्त होते हैं। इसका उद्देश्य **SEZ के भीतर व्यापार दक्षता** को बढ़ावा देना है।

GST परिषद

- **परिचय:** GST परिषद् (जो कि **अनुच्छेद 279-A** के अंतर्गत 101वें संवैधानिक संशोधन, 2016 द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है) द्वारा GST के कार्यान्वयन संबंधी सिफारिशें की जाती हैं।
  - GST एक **मूल्यवर्द्धित (एड वैलोरम)** और **अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है,** जो भारत में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
- **सदस्य:** इस परिषद में **केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष)**, केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) और प्रत्येक राज्य से एक वित्त या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं।
- **निर्णयों की प्रकृति:** ***मोहित मिनरल्स मामले, 2022*** में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि GST परिषद की सिफारिशें **बाध्यकारी नहीं** हैं, क्योंकि संसद एवं राज्यों दोनों के पास GST के संबंध में **विधायी शक्तियाँ** हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)

- **परिचय:** SEZ एक शुल्क-मुक्त क्षेत्र है, जिसे **व्यापार, शुल्क और संचालन** के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। कोई भी **निजी/सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र या राज्य सरकार या उसकी एजेंसियाँ SEZ स्थापित** कर सकती हैं।
  - भारत में SEZ को पहली बार वर्ष 2000 में विदेश व्यापार नीति के तहत शुरू किया गया था, जिसने पहले के **निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (EPZ)** की जगह ली थी। वे **SEZ अधिनियम, 2005** और **SEZ नियम, 2006** द्वारा शासित होते हैं।
- **उद्यम एवं सेवा केंद्र विकास (DESH) विधेयक,** 2022 का उद्देश्य SEZ अधिनियम, 2005 को प्रतिस्थापित करना तथा SEZ को अधिक अनुकूल एवं समावेशी विकास केंद्रों में परिवर्तित करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

ईएमआरएस को सीआईएल से 10 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन

चर्चा में क्यों?

जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने **छत्तीसगढ़** में 68 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) को समर्थन देने के लिये कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य **जनजातीय छात्रों** की **शिक्षा** में सुधार करना है।

मुख्य बिंदु

साझेदारी के बारे में:

- CIL छत्तीसगढ़ में 68 **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS)** को सहायता प्रदान करेगी, जिससे 28,000 से अधिक जनजातीय छात्र लाभान्वित होंगे।
- CIL की कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (CSR) पहल के तहत कुल **10 करोड़ रुपए** मंज़ूर किये गए हैं।
- यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत सरकार के प्रयासों के अनुरूप है, जो समाज के सभी वर्गों के लिये समान और समावेशी शैक्षिक अवसरों पर केंद्रित है।
- इस व्यापक हस्तक्षेप के उद्देश्य है:
  - शैक्षिक अंतराल को पाटना
  - करियर की तैयारी और उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा देना
  - आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिये जनजातीय युवाओं को आवश्यक उपकरणों से सशक्त बनाना
  - EMRS में आधुनिक और नवीन शिक्षण वातावरण का निर्माण करना
- प्रमुख हस्तक्षेप:
  - **डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा:** कंप्यूटर लैब की स्थापना और छात्रों के लिये लगभग 3,200 कंप्यूटर तथा 300 टैबलेट का क्रय।
  - **छात्राओं के लिये स्वास्थ्य एवं स्वच्छता:** स्कूलों और छात्रावासों में लगभग 1,200 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें तथा 1,200 भस्मक मशीनें स्थापित की जाएंगी।
  - **छात्रों के लिये व्यापक मेंटरशिप:** छात्रों को शैक्षणिक और व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देने के लिये संरचित मेंटरशिप कार्यक्रम।
  - **आवासीय उद्यमशीलता बूट कैंप:** उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करने के लिये IIT, IIM और NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में बूट कैंप का आयोजन।
- **कार्यान्वयन:** इस परियोजना को जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के बारे में

- **EMRS: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)** जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) द्वारा **वर्ष 1998** में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य दूरदराज़ और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में **अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को कक्षा 6वीं से 12वीं** तक नि:शुल्क, गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उद्देश्य:** खेल, संस्कृति और कौशल प्रशिक्षण सहित **समग्र विकास** के साथ एकीकृत **CBSE-आधारित निर्देश** प्रदान करके **आदिवासी और गैर-आदिवासी आबादी** के बीच शैक्षिक अंतर को कम करना।
  - **पुनर्गठन और विस्तार:** इस योजना को **वर्ष 2018-19 में पुनर्गठित** किया गया ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके। अब EMRS उन ब्लॉकों में स्थापित किये जा रहे हैं, जहाँ **50% से अधिक ST आबादी** है और **कम-से-कम 20,000 जनजातीय व्यक्ति** रहते हैं। इसका लक्ष्य **वर्ष 2026 तक 728 स्कूलों** की स्थापना करना है।
- **शासन व्यवस्था:** इन विद्यालयों का संचालन राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (NESTS) द्वारा किया जाता है, जो कि MoTA के अंतर्गत एक **स्वायत्त संस्था** है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - ये विद्यालय **सहशैक्षिक और पूर्णत: आवासीय** होते हैं, जिन्हें **नवोदय विद्यालयों के तर्ज** पर जनजातीय समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए स्थापित किया गया है।
  - ये **CBSE पाठ्यक्रम** का पालन करते हैं और छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा के साथ-साथ **सभी मूलभूत सुविधाएँ** प्रदान करते हैं।
  - **बुनियादी ढाँचा** में कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, खेल के मैदान और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये स्थान शामिल होते हैं।
  - प्रत्येक विद्यालय की क्षमता **480 छात्रों** की होती है, जिसमें **लैंगिक समानता** सुनिश्चित की जाती है।
  - **10% तक सीटें** गैर-जनजातीय (non-ST) छात्रों को आवंटित की जा सकती हैं।
  - **खेल कोटा के अंतर्गत 20% आरक्षण** एथलेटिक्स और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले **मेधावी ST छात्रों** के लिये निर्धारित है।
- **जनजातीय शिक्षा हेतु अन्य पहल**
  - राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (RGNF)
  - व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र
  - राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना
  - पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

कोल इंडिया लिमिटेड

- **कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)**, नवंबर 1975 में स्थापित एक **सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन निगम** है, जिसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है।
- यह **विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी** है, जो **भारत के कुल घरेलू कोयला उत्पादन में लगभग 80% का योगदान** देती है।
- CIL की सहायक कंपनी **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL), गेवरा (छत्तीसगढ़)** में **एशिया की सबसे बड़ी खुली कोयला खदान** का संचालन करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** से तात्पर्य समाज और पर्यावरण के प्रति कंपनी की ज़िम्मेदारी से है।
  - यह एक **स्व-विनियमन मॉडल** है, जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय कल्याण पर अपने प्रभाव के लिये **ज़वाबदेह** बने रहें।
- **कानूनी ढाँचा:** भारत पहला देश है, जिसने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत CSR व्यय को **अनिवार्य** बनाया है, जो पात्र गतिविधियों के लिये एक **संरचित ढाँचा** प्रदान करता है।
- **प्रयोज्यता:** CSR नियम उन कंपनियों पर लागू होते हैं, जिनकी पिछले वित्तीय वर्ष में **निवल संपत्ति 500 करोड़ रुपए** से अधिक हो या **कारोबार 1,000 करोड़ रुपए** से अधिक हो या **शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए** से अधिक हो।
- ऐसी कंपनियों को पिछले 3 वित्तीय वर्षों (या यदि नई निगमित हुई हैं तो उपलब्ध वर्षों) के अपने **औसत शुद्ध लाभ** का **कम-से-कम** 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना होगा।

रायपुर-दुर्ग मेट्रो रेल परियोजना

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की राजधानी रायपुर के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये रायपुर-दुर्ग मेट्रो रेल परियोजना को मंज़ूरी दी।

मुख्य बिंदु

- **मेट्रो रेल परियोजना के बारे में:**
  - यह पहल दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की तर्ज पर एक **राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR)** स्थापित करने के **व्यापक दृष्टिकोण** का एक हिस्सा है। SCR का लक्ष्य **रायपुर**, **नवा रायपुर अटल नगर** और दुर्ग-भिलाई कॉरिडोर जैसे **प्रमुख शहरी क्षेत्रों** को **एकीकृत, सुव्यवस्थित शहरी ढाँचे** में एकीकृत करना है।
- **उद्देश्य:**
  - **कुशल परिवहन:** मेट्रो रेल प्रणाली को लोगों की आवाजाही बढ़ाने, **सड़क की भीड़** को कम करने और **SCR के भीतर परिवहन को सुव्यवस्थित** करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - **क्षेत्रीय अवसंरचना विकास:** यह पूरे क्षेत्र में **साझा अवसंरचना विकास** में योगदान देगा जिससे अधिक समन्वित विकास सुनिश्चित होगा।
  - **जनसंख्या वृद्धि:** वर्ष 2031 तक **50 लाख से अधिक की अनुमानित जनसंख्या** के साथ, विश्वसनीय और सुलभ सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिये मेट्रो प्रणाली विकसित की जा रही है।
- **वित्त पोषण और प्रारंभिक कदम:**
  - छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य बजट 2024-25 में एक **व्यापक व्यवहार्यता सर्वेक्षण** के लिये 5 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि आवंटित की है, जो परियोजना की **तकनीकी**, **वित्तीय** और **परिचालन व्यवहार्यता** का आकलन करने की दिशा में पहला कदम है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

- इसके अतिरिक्त, रायपुर नगर निगम ने रायपुर में लाइट मेट्रो प्रणाली के संभावित कार्यान्वयन का पता लगाने के लिये **अगस्त** 2024 में **रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय** के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।

- राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (CRDA) की स्थापना:
  - रायपुर-दुर्ग मेट्रो रेल परियोजना की सफलता और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये, **राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (CRDA)** की स्थापना की जा रही है। **CRDA**, **राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR)** के विकास की देखरेख करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना का कार्यान्वयन **समन्वित तरीके** से हो।

- **CRDA के प्रमुख कार्य:**
  - **शहरी नियोजन:** CRDA भूमि उपयोग को विनियमित करने, बुनियादी ढाँचे के विकास और **SCR** के भीतर निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिये ज़िम्मेदार होगा।
  - **पर्यावरण प्रबंधन:** सतत विकास सुनिश्चित करना एक प्रमुख ज़िम्मेदारी होगी, जिसमें प्राधिकरण पूरे क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी चिंताओं का प्रबंधन करेगा।
  - **समन्वय और कार्यान्वयन:** यह क्षेत्रीय योजना को वास्तविक कार्यान्वयन के साथ एकीकृत करने तथा **समेकित शहरी विकास** को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा।
  - **शासन संरचना:** CRDA की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नौकरशाह, विधानसभा के सदस्य (MLA) तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
    - प्राधिकरण **मेट्रो परियोजना** की प्रगति का मार्गदर्शन और निगरानी करेगा तथा क्षेत्रीय विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करेगा।
  - **वित्तपोषण और बजट:** CRDA को मेट्रो रेल जैसी पूंजी-गहन परियोजनाओं को समर्थन देने के लिये एक समर्पित **बुनियादी ढाँचा** उपकर लगाने का अधिकार होगा।
  - यह वार्षिक बजट तैयार करने और राज्य सरकार को नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये भी ज़िम्मेदार होगा।

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME